संख्या-24/2025/001-1895644(1)/12-2002(002)/1/2023

प्रेषक,

गुन्जन दुबे,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2025

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-103-बीज-06-उ0प्र0 मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम (100 प्रतिशत राज्य पोषित) के मानक मद-27-सब्सिडी में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-मिलेट्स-900/वि0स्वी0/2024-25, दिनांक 20 जनवरी 2025 एवं पत्र संख्या-53/यू0पी0एम0आर0पी0/2024-25 दिनांक 17 मार्च 2025 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-11 लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-103-बीज-06-उ0प्र0 मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम (100 प्रतिशत राज्य पोषित) के मानक मद 42-अन्य व्यय में रू0 249.10 लाख की उपलब्ध बचत से अनुदान संख्या-11 लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-103-बीज-06-उ0प्र0 मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम (100 प्रतिशत राज्य पोषित) के मानक मद-27-सब्सिडी में धनराशि रू0 249.10 लाख (रूपये दो करोड़ उन्चास लाख दस हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि को विभागीय बचतों से संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) के अनुसार निम्नलिखित शर्तो के अधीन पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय योजना की निर्धारित दिशा निर्देशों/गाइडलाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार ही किया जायेगा।
3. बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. जिस योजना/मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नही की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद/कार्यो में आहरित कर व्यय की जायेगी।

6. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

7. प्रस्ताव में आकड़ों की शुद्धता का दायित्व आपका होगा।

8. वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रण अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व आपके स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिक्ताओं की पूर्ति अनिवार्यत: सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

9. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

10. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या-07/2023/172/12-2-2023-04/2022, दिनांक 01 फरवरी, 2023 एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर अन्य दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च 2024 एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत अन्य दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,49,10,000 (रुपये दो करोड़ उन्चास लाख दस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-011 **लेखा 2401001030600** उ0प्र0 मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम मानक मद **27 सब्सिडी** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,
गुन्जन दुबे
अनु सचिव।

संख्या-14/2025/001-1895644(2)/12-2002(002)/1/2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1. महालेखाकार द्वितीय/प्रथम-(लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार द्वितीय/प्रथम-(आडिट सिविल), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ।

4. अपर कृषि निदेशक, (बीज एवं प्रक्षेत्र), उ0प्र0 लखनऊ।

5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊवरिष्ठ कोषाधिका/समस्त् कोषाधिकारी/री,उ0प्र0।

6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभागग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।

7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
गुन्जन दुबे
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A012-20242025-86-2025 1895644 12-2002 002 1 2023

विषय:- वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या - 11 के मेडासीपैक 2401 - फसल कृषि कर्म 103 - बीज 06 - उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम (100 प्रतिशत राज्य पोषित) बोजमान्तर्गत धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि का पुनर्विनियोग प्रस्ताव।

निम्नलिखित लिपिवों से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2401001030600 (उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम)	42 (अन्य व्यय)	34,47,50,000 रुपये चौंतीस करोड़ सैंतालीस लाख पचास हजार मात्र	17,23,75,000 रुपये सत्रह करोड़ तेईस लाख पचहत्तर हजार मात्र	-2,49,10,000 रुपये दो करोड़ उनचास लाख दस हजार मात्र	24910000	31924000	2024-2025

निम्नलिखित लिपिवों में प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2401001030600 (उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम)	27 (सचिवालय)	2,49,10,000 रुपये दो करोड़ उनचास लाख दस हजार मात्र	2,49,10,000 रुपये दो करोड़ उनचास लाख दस हजार मात्र	24910000	49820000	2024-2025

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहें :-

1. स्तम्भ-2 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष-4 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से है:-

अ- अटकलात व्यय के दृष्टिगत बचत।

2. स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

ब- उक्त मानक मद में अपेक्षित प्राविधान उपलब्ध न होने के कारण व्ययाधिक्य।

3-प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर सं0-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

बजट-1-952 B0 31/3/2025

संख्या, आर ई-< 2 > -2024-25, दिनांक- फरवरी, 2025

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

Gunjan Dubey
(गुन्जन दुबे)
अनु सचिव।

Signed by
Dr. Ramesh Chandra Tiwari
अपर सचिव।
Date: 31-03-2025 17:12:10

संख्या : < > / < >, < > दिनांक- फरवरी, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल/ऑडिट) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एव हकदारी)- प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
4. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. वित्त नियन्त्रक, कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन को बी0एम0-9 की तीन प्रतियाँ सहित।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
Gunjan Dubey
(गुन्जन दुबे)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।